

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या-212/2021

धारा 144 द0प्र0सं0

अर्जुन राम.....प्रथम पक्ष

बनाम्

मुरारी सिंह वगै0.....द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 03/02/21 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद आवेदक से प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अर्जुन राम बनाम द्वितीय पक्ष के मुरारी सिंह वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा-सबलपुर, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह अंतर्गत,

1. खाता नं0-212, प्लॉट नं0-2488, रकवा-38 डी0, चौहद्दी: 30-रास्ता, द0-नीज, पू0-रास्ता, प0-नीज।
2. प्लॉट नं0-2489, रकवा-10 डी0, चौहद्दी: 30-नीज, द0-सेवकी राम, पू0-सेवकी राम, प0-नीज।
3. खाता सं0-09, प्लॉट नं0-861, रकवा-24 डी0, चौहद्दी: 30-टांड छोटका नेहाल वगै0, द0-टांड टोडी कोइरी वगै0, पू0-राम कहार, प0-टांड छोटक नेहाल।
4. प्लॉट नं0-1321, रकवा-04 डी0, चौहद्दी: 30-सेवा कहार, द0-चमना कहार वगै0, पू0-विशुन कहार, प0-परती तुलवा चमार।
5. प्लॉट नं0-2217, रकवा-05 डी0, चौहद्दी: 30-टांड लक्ष्मण कहार, द0-विशुर कहार, पू0-सीमाना नावाडीह, प0-नीज।
6. प्लॉट नं0-2317, रकवा-08 डी0, चौहद्दी: 30-लक्ष्मण कहार, द0-विशुन कहार, पू0-सिमाना नावाडीह, प0-नीज।
7. प्लॉट सं0-2322, रकवा-09 डी0, चौहद्दी: 30-मोतीलाल, द0-सिमाना

नावाडीह, पू०-सिमाना नावाडीह, प०-सेवा कहार।

8. प्लॉट सं०-2388, रकवा-22 डी०, चौहद्दी: 30-विशुन कहार, द०-भिखना कोयरी, पू०-लेखो पाण्डेय वगै०, प०-मंगर पाण्डेय वगै०।
9. खाता नं०-02, प्लॉट नं०-1261, रकवा-48 डी०, चौहद्दी: 30-रास्ता, द०-बंधुवा तुरी, पू०-लिलो धोबी वगै०, प०-कारु मोदी वगै०।
10. खाता नं०-126, प्लॉट नं०-568, रकवा-13 डी०, चौहद्दी: 30-भगलु पाण्डेय वगै०, द०-तालेवर कोयरी, पू०-रंगु कर्णदेव वगै०, प०-धामलिया कोयरी।
11. प्लॉट नं०-1186, रकवा-05 डी०, चौहद्दी: 30+द०-जिरात गोर्वधन कर्ण, पू०-तोबरीया तुरी, प०-लीलो कोयरी वगै०।
12. प्लॉट नं०-1203, रकवा-07 डी०, चौहद्दी: 30-चमना कोयरी, द०-तालेवर कोयरी, पू०-चमना कोयरी वगै०, प०-मसोमात अतनी।
13. प्लॉट नं०-1210, रकवा-07 डी०, चौहद्दी: 30+प०-चमना कोयरी, द०-तालेवर कोयरी, पू०-मसोमात लुलिया।
14. प्लॉट नं०-2318, रकवा-18 डी०, चौहद्दी: 30-चौवा कहार, द०-परती विशुन कहार, पू०-धान नीज, प०-बकास्त लक्ष्मण।

उभय पक्ष उपस्थित।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व उभय पक्षों के विज्ञा अधिवक्ताओं के कथन सुनने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चूंकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द०प्र०सं० के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।